उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

अधिहरण वाद सं0- 47/2013-14

राज्य–बनाम – सलखु मुर्मू

	आदेश	
	इस वाद की कार्यवाही अनुमण्डल पदाधिकारी, घाटशिला के पत्रांक–239, दिनांकः–12/08/13 के द्वारा डुमरिया थाना काण्ड सं0–10/1013 में जप्त 280–90 पैकेट लगभग चावल एवं 430 लीटर किरासन तेल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 के अन्तर्गत अधिहरण हेतु दिनांक 29/08/2013 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6(बी) के तहत कारण पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया था। अनुमण्डल पदाधिकारी, घाटशिला के पत्रांक–239, दिनांकः–12/08/13 में प्रतिवेदित किया गया है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, घाटशिला के निर्देश पर दिनांक 03/07/13 को अपराह्न लगभग 12:15 बजे डुमरिया प्रखण्ड के ग्राम–कोलाबाडिया, पंचायत–धोलाबेड़ा अवस्थित जन वितरण प्रणाली के विक्रेता श्री सलखु मुर्मू, पे0–स्व0 पदो मुर्मू, अनुज्ञप्ति सं0–15/2003 की दुकान का निरीक्षण किया। जाँच के समय दुकान खुली थी, परन्तु दुकान के बाहर साईन बोर्ड टंगा हुआ नहीं था। जाँच के क्रम में बी0पी0एल0 भण्डार पंजी का जाँच किया गया। विक्रेता द्वारा दिनांक–26/06/2013 को माह जून के आवंटन के विरूद्ध कुल 78.40 क्विं खाद्यान्न का उठाव किया गया था, परन्तु विक्रेता जांच की तिथि तक उठाव किया गया खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया था। माह जून के लिये उठाये गये खाद्यान्न का वितरण करने में विलम्ब करना कालाबाजारी की नियती को दर्शाता है। उसी प्रकार जांच के कम में अन्त्योदय अन्न योजना के मद में माह जून का आवंटन के विरूद्ध विक्रेता द्वारा कुल 75.60 क्विं0 खाद्यान्न का उठाव दिनांक 26/06/2013 को किया गया, लेकिन इस योजना मद का खाद्यान्न का वितरण भी जांच की तिथि तक आरम्भ नहीं किया गया था, जो जानबूझकर विलम्ब करना कालाबाजारी का संदेह उत्पन्न करता है तथा इसी योजना के तहत सबरों के लिए 28.35 क्विं चावल का आवंटन प्राप्त था जिसका अविलम्ब वितरण किया जाना था। इसी प्रकार विक्रेता द्वारा सूखा राहत योजना के तहत माह जनवरी–13 के आवंटन के विरूद्ध 131.60 क्विं खाद्यान्न का उठाव दिनांक–16/05/13 को किया गया। भंडार पंजी के जांच से प्रतीत होता है कि दिनांक–24/05/13 तक विक्रेता ने इस मद में उठाये गये कुल 131.60 क्विं चावल का वितरण दर्शाया है, जबकि बिकी पंजी की जाँच से ज्ञात हुआ कि विक्रेता द्वारा इस योजना के कुल 376 कार्डधारी की जगह सिर्फ 292 कार्डधारी को ही प्रति कार्डधारी 35 किग्रा0 की दर से कुल 102.20 क्विं चावल का वितरण किया गया है। शेष 84 कार्डधारी को 35 किग्रो0 की दर से कुल 29.40 क्विं खाद्यान्न वितरण का उल्लेख उनकी बिकी पंजी में अंकित नहीं है अर्थात भंडार पंजी के अनुसार 29.40 क्विं खाद्यान्न का बोगस वितरण भंडार	

पंजी में अंकित है। विक्रेता के दो कमरों में लगभग 280–90 पैकेट चावल एवं दो ड्राम फूल एवं दो टीना में रखे लगभग 430 ली0 किरासन तेल को पाया गया, जिसे सील कर वहाँ उपस्थित दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष जप्त सामानों की जप्ती सूची तैयार कर जप्त किया गया।

विपक्षी इस वाद में नोटिस प्राप्त करने के पश्चात भी उपस्थित नहीं हुये और न ही उनका कारण पृच्छा प्राप्त हुआ है, इससे स्पष्ट है कि विपक्षी को इस न्यायालय के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(b) निर्गत नोटिस पर उन्हें कुछ कहना नहीं है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, घाटशिला के पत्रांक 12/08/2013 एवं थाना प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी डुमरिया थाना काण्ड सं0–10/2013 में जप्त चावल 280–90 पैकेट एवं 430 ली0 किरासन तेल कालाबाजारी के उद्देश्य से विपक्षी के द्वारा रखा गया था जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–7 3(2)(d) एवं बिहार व्यापारिक वस्तु अनुज्ञा पत्र एकीकरण आदेश 1984 तथा जन वितरण नियंत्रण आदेश 2001 का उल्लंघन है एवं धारा–7 में दण्डनीय अपराध है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में डुमरिया थाना काण्ड सं0–10/2013 में 280–90 पैकेट एवं 430 ली0 किरासन तेल अधिग्रहित किया जाता है। आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, घाटशिला तथा थाना प्रभारी, डुमरिया को भेजें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक 31.05.2016 को पारित किया जा रहा है।

लेखापित एवं संशोधित

31/05/2016

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

31/05/2016.

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।